धारा-102. आदेशों और निर्णयों का अन्तिम होना-(1) धारा 71 के अधीन दिया गया प्रत्येक अभिनिर्णय और धारा 98 की उपधारा (1) में अभिनिर्दिष्ट प्रकार का आदेश, जब यथास्थिति धारा 97 या धारा 98 के अधीन ऐसे अभिनिर्णय या आदेश के विरूद्ध कोई अपील की गई हो तथा धारा 99 के अधीन रहते हुये, उक्त धारा के अधीन अपील में दिया गया प्रत्येक निर्णय अन्तिम तथा सम्बद्ध पक्षों पर बन्धनकारी होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नही की जायेगी।